

न्यायालय- अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 भीकनगॉव पश्चिम निमाड

:: सामान्य सूचना ::

कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुये माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ज्ञापन क्रमांक 345/आर-ए/2020 जबलपुर, दिनांक 17/03/2020 से जारी दिशा-निर्देश के पालन में आज दिनांक 20-03-2020 तक नियत प्रकरणों के संदर्भ में सभी पक्षकार, साक्षियों एवं अधिवक्तागण को सूचित किया जाता है कि जिस प्रक्रम पर प्रकरण आज नियत है, उसी प्रक्रम पर प्रकरण नीचे तालिका कॉलम नंबर 2 में वर्णित दिनांक को सुने जायेंगे।

नियत दिनांक (1)	सुनवायी हेतु नियत अगामी दिनांक (2)
20.03.2020	17.04.2020
21.03.2020	20.04.2020
23.03.2020	21.04.2020
24.03.2020	23.04.2020
26.03.2020	24.04.2020
27.03.2020	25.04.2020
28.03.2020	28.04.2020
30.03.2020	29.04.2020
31.03.2020	30.04.2020

(रज्योत्सवा आर्य)  
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1  
भीकनगॉव पश्चिम निमाड

न्यायालय- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भीकनगॉव जिला मण्डलेश्वर मध्यप्रदेश

:: सामान्य सूचना ::

कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुये माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ज्ञापन क्रमांक 345/आर-ए/2020 जबलपुर, दिनांक 17/03/2020 से जारी दिशा-निर्देश के पालन में आज दिनांक 20-03-2020 तक नियत प्रकरणों के संदर्भ में सभी पक्षकार, साक्षियों एवं अधिवक्तागण को सूचित किया जाता है कि जिस प्रकम पर प्रकरण आज नियत है, उसी प्रकम पर प्रकरण नीचे तालिका कॉलम नंबर 2 में वर्णित दिनांक को सुने जायेंगे।

नियत दिनांक (1)	सुनवायी हेतु नियत अगामी दिनांक (2)
20.03.2020	17.04.2020
21.03.2020	20.04.2020
23.03.2020	21.04.2020
24.03.2020	23.04.2020
26.03.2020	24.04.2020
27.03.2020	25.04.2020
28.03.2020	28.04.2020
30.03.2020	29.04.2020
31.03.2020	30.04.2020

(संजीव जैन)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
भीकनगॉव जिला मण्डलेश्वर

न्यायालय : एन0आर0 परमार, अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय के  
अतिरिक्त न्यायाधीश, भीकनगांव, जिला मण्डलेश्वर (म0प्र0)

दिनांक 20.03.2020

**:: सामान्य सूचना ::**

कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुये माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ज्ञापन क्रमांक 345/आर-ए/2020 जबलपुर, दिनांक 17/03/2020 से जारी दिशा-निर्देश के पालन में आज दिनांक 20-03-2020 तक नियत प्रकरणों के संदर्भ में सभी पक्षकार, साक्षियों एवं अधिवक्तागण को सूचित किया जाता है कि जिस प्रक्रम पर प्रकरण आज नियत है, उसी प्रक्रम पर प्रकरण नीचे तालिका कॉलम नंबर 2 में वर्णित दिनांक को सुने जायेंगे।

नियत दिनांक (1)	सुनवायी हेतु नियत अगामी' दिनांक (2)
20.03.2020	17.04.2020
21.03.2020	20.04.2020
23.03.2020	21.04.2020
24.03.2020	23.04.2020
26.03.2020	24.04.2020
27.03.2020	25.04.2020
28.03.2020	28.04.2020
30.03.2020	29.04.2020
31.03.2020	30.04.2020

नोट :- अण्डर ट्रायल प्रकरणों मे अभियुक्त की उपस्थिति V.C के माध्यम से सुनिश्चत की जावेगी।

(एन0आर0 परमार)

अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय के  
अतिरिक्त न्यायाधीश  
भीकनगांव जिला मण्डलेश्वर (म0प्र0)

**न्यायालय:-अजयसिंह यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
कसरावद, प0नि0, (म0प्र0)**

जा.कं- /आप.

कसरावद, दिनांक-21.03.2020

**:: सामान्य सूचना ::**

**आपराधिक प्रकरण**

कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ज्ञापन क्र.-345/आर-ए/2020 जबलपुर, दिनांक-19.03.2020 एवं 20.03.2020 में जारी दिशा-निर्देश के पालन में आज दिनांक-21.03.2020 से 31.03.2020 तक नियत प्रकरणों के संदर्भ में सभी पक्षकार, साक्षियों एवं अधिवक्तागण को सूचित किया जाता है कि जिस प्रक्रम पर प्रकरण आज नियत है उसी प्रक्रम पर प्रकरण नीचे तालिका कॉलम नंबर-02 में वर्णित दिनांक को सुने जायेंगे।

नियत दिनांक (1)	सुनवाई हेतु नियत आगामी दिनांक (2)
21.03.2020	18.04.2020
23.03.2020	20.04.2020
24.03.2020	22.04.2020
26.03.2020	23.04.2020
27.03.2020	24.04.2020
28.03.2020	25.04.2020
30.03.2020	27.04.2020
31.03.2020	28.04.2020

**(अजयसिंह यादव)**  
न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी  
कसरावद, प.नि

**न्यायालय:-अजयसिंह यादव, व्यवहार न्यायालय वर्ग-2, कसरावद,  
प0नि0, (म0प्र0)**

जा.कं- /रीडर

कसरावद, दिनांक-21.03.2020

**:: सामान्य सूचना ::**

**दीवानी प्रकरण**

कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए माननीय उच्च

न्यायालय:-अजयसिंह यादव, व्यवहार न्यायालय वर्ग-2, कसराबद,  
प0नि0, (म0प्र0)

जा.कं- /रीडर

कसराबद, दिनांक-21.03.2020

**:: सामान्य सूचना ::**  
**दीवानी प्रकरण**

कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ज्ञापन कं-345/आर-ए/2020 जबलपुर, दिनांक-19.03.2020 एवं 20.03.2020 में जारी दिशा-निर्देश के पालन में आज दिनांक-21.03.2020 से 31.03.2020 तक नियत प्रकरणों के संदर्भ में सभी पक्षकार, साक्षियों एवं अधिवक्तागण को सूचित किया जाता है कि जिस प्रकम पर प्रकरण आज नियत है उसी प्रकम पर प्रकरण नीचे तालिका कॉलम नंबर-02 में वर्णित दिनांक को सुने जायेंगे।

नियत दिनांक (1)	सुनवाई हेतु नियत आगामी दिनांक (2)
21.03.2020	07.04.2020
23.03.2020	08.04.2020
24.03.2020	09.04.2020
26.03.2020	11.04.2020
27.03.2020	15.04.2020
28.03.2020	16.04.2020
30.03.2020	17.04.2020
31.03.2020	18.04.2020

(अजयसिंह यादव)  
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2  
कसराबद, प.नि.

न्यायालय:- महेन्द्र सैनी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 एवं  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सनावद

//आम सूचना//

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के मेंमों नं 345/रजिस्ट्री/2020 जबलपुर दिनांक 17.03.2020 में कोरोना वायरस कोविड 19 में दिये गये निर्देश के सरल क्रमांक 1 एवं सहपठित एडवायजरी दिनांक 20.03.2020 के अनुसार समस्त अधिनस्थ न्यायालय जो म0प्र0 उच्च न्यायालय के अधिनस्थ हैं उन्हें केवल जमानत संबंधी मामले और स्टे/इंजक्शन मेटर जो त्वरित प्रकृति के हैं दिनांक 31.03.2020 तक जिनमे कि अंतिम तर्क के मामले सामिल, जो स्थगित किये गये हैं और उन्हें दिनांक 31.03.2020 बाद ही सुनवाई में लिये जाने के दिशा निर्देश जारी किये गये हैं ।

अतः इस न्यायालय में दिनांक 31.03.2020 तक लंबित सिविल एवं आपराधिक शाखा के प्रकरण जो कालम क्रमांक 2 में उल्लेखित है उन्हें कालम क्रमांक 3 में उल्लेखित तिथियों को उसी प्रक्रम पर लिये जायेंगे ।

सरल क्रमांक	पेशी तारीख		नियत पेशी तारीख
1	20.03.2020	-	22.04.2020
2	21.03.2020		23.04.2020
3	23.03.2020		24.04.2020
4	24.03.2020		27.04.2020
5	26.03.2020		28.04.2020
6	27.03.2020		29.04.2020
7	28.03.2020		04.05.2020
8	30.03.2020		05.05.2020
9	31.03.2020		06.05.2020

  
(महेन्द्र सैनी)

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश  
वर्ग-2 एवं  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
सनावद प0नि0

**न्यायालय-चारुलता दांगी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
सनावद जिला मण्डलेशर (MOPRO)**

**-आवश्यक सूचना-**

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एडवाइजरी/निर्देश के अनुपालन में इस न्यायालय के समस्त अभिभाषकगण को सूचित किया जाता है कि कोरोना वायरस (Covid-19) के संक्रमण को रोकने के लिए सुरक्षात्मक दृष्टि से दिनांक 31.03.2020 तक समस्त सिविल/आपराधिक एवं अन्य मामलों से संबंधित किसी भी पक्षकार को व्यक्तिगत रूप से (अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर) उपस्थित न किया जाये। इस संबंध में समस्त अभिभाषकगण दिनांक 31.03.2020 तक न्यायालय में लंबित समस्त मामलों में पक्षकारों को अपने अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें। ताकी न्यायालय परिसर में पक्षकार उपस्थित न हों और उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

उपरोक्त संबंध में दिनांक 20.03.2020 से दिनांक 31.03.2020 तक के सिविल एवं आपराधिक प्रकरण निम्नलिखित दिनांक के सामने लिखी नवीन दिनांक को सुनवाई पर लिये जायेंगे।

सिविल		आपराधिक	
दिनांक	नवीन दिनांक	दिनांक	दिनांक
20.03.2020	15.04.2020	20 एवं 21.03.2020	21.04.2020
21.03.2020		23.03.2020	22.04.2020
23.03.2020	16.04.2020	24.03.2020	23.04.2020
24.03.2020		26.03.2020	24.04.2020
26.03.2020	17.04.2020	27.03.2020	25.04.2020
27.03.2020		28.03.2020	27.04.2020
28.03.2020	18.04.2020	30.03.2020	28.04.2020
30.03.2020		31.03.2020	29.04.2020
31.03.2020			

(चारुलता दांगी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी  
सनावद जिला मण्डलेशर